राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांकः एफ 20( ) /जीविकोपार्जन/2014/2163 – 2242 दिनांक : 3-3-15

अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन
परियोजना प्रबंधक,
डब्ल्यू.सी.डी.सी.
जिला परिषद समस्त

विषयः जीविकोपार्जन गतिविधि अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह/उद्यमी व्यक्तियों, डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अन्य अधिकारियों को विभिन्न स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रति वर्ष राज्य, जिला व ब्लाक स्तर पर उत्कृष्ट समूह, उद्यमी व्यक्ति, डब्ल्यू.डी.टी सदस्य एवं पीआईए को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाना है । विभिन्न स्तर पर सम्मानित करने/प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जावेः–

ब्लाक स्तर पर (पुरस्कार आयोजन माह मई के द्वितीय सप्ताह में किसी भी दिनांक को):

1. अधिशाषी अभियन्ता उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह/उत्कृष्ट उद्यमी व्यक्तियों व उत्कृष्ट डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य के चयन हेतु ब्लाक स्तर पर एक कमेटी का गठन करे **(परिशिष्ट –1)**
2. डब्ल्यू.डी.टी., सामाजिक विज्ञान द्वारा अपने अपने जल ग्रहण क्षेत्र में कियान्वित स्वयं सहायता समूहों व उद्यमी व्यक्तियों की रिपोर्ट मय आवश्यक रेकार्ड एंव फोटोग्राफ सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.) को प्रस्तुत करेगा । सहायक अभियन्ता अपने स्तर पर डब्ल्यू.डी.टी सदस्यों से रेकार्ड प्राप्त कर चर्चा कर तीन–तीन उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूहों व उद्यमी व्यक्तियों का चयन कर मय टिप्पणी/अभिशंसा अधिशाषी अभियन्ता को प्रेषित करेगें ।
3. अधिशाषी अभियन्ता कमेटी की बैठक निर्धारित कर कमेटी से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर स्वयं सहायता समूहों, उद्यमी व्यक्तियों तथा डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य का विभिन्न बिन्दुओं जैसे प्रगति, उनके द्वारा किये गये कार्यो व संधारित रेकार्ड का आकंलन कर स्वयं सहायता समूह, उद्यमी व्यक्तियों व डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य का चयन कर प्रशस्ति पत्र **(परिशिष्ट –2)** प्रदान करेगें ।
4. सम्मानित किये गये स्वयं सहायता समूह, उद्यमी व्यक्तियों एवं डब्ल्यू.डी.टी सदस्य का पृथक–पृथक नोट तैयार कर रेकार्ड मय फोटोग्राफ व अभिशंसा के साथ अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक को भेजेगे।

जिला स्तर पर (पुरस्कार आयोजन माह जून के द्वितीय सप्ताह में किसी भी दिनांक को):

1. उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह/उत्कृष्ट उद्यमी व्यक्तियों, डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता के चयन हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करे **(परिशिष्ट –3)** ।
2. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक का आयोजन कर समस्त ब्लाक से प्राप्त स्वयं सहायता समूह/उद्यमी व्यक्तियों, डब्ल्यू.डी.टी. सदस्यों के रेकार्ड का आंकलन कर उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह, उत्कृष्ट उद्यमी व्यक्ति एवं उत्कृष्ट डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य का चयन करे ।

3. बैठक में जीविकोपार्जन गतिविधि अन्तर्गत वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता के प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन कर चयन करे ।
4. जिला स्तर पर समारोह का आयोजन कर उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह/उत्कृष्ट उद्यमी व्यक्ति व उत्कृष्ट डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य को **प्रशस्ति पत्र** प्रदान करेगें **(परिशिष्ट–4)** । चयनित कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता के कार्यो के बारे में टिप्पणी/अभिशंसा तैयार कर निदेशालय भिजवायेगे ।

राज्य स्तर पर (पुरस्कार आयोजन माह जुलाई में):

1. जीविकोपार्जन गतिविधियों अन्तर्गत जिलों से प्राप्त मनोनित स्वयं सहायता समूहों/उद्यमी व्यक्तियो, कनिष्ट अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता के रेकार्ड व अभिशंसा के आधार पर राज्य स्तर पर निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण स्तर पर गठित कमेटी में परीक्षण किया जाकर समस्त वर्गो में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय का चयन किया जावेगा ।
2. राज्य स्तर पर समारोह का आयोजन कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्वयं सहायता समूहों/उद्यमी व्यक्तियो तथा डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य को प्रमाण पत्र व नकद पुरस्कार के रूप में क्रमशः राशि रू. 5000, रू. 3000 व रू. 2000 के चैक के माध्यम से दिये जावेगें । आवश्यकता महसुस होने पर दो सान्तवना पुरस्कार जिसकी राशि रू. 1000 होगी भी दिया जा सकेगा ।

उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह/उत्कृष्ट उद्यमी व्यक्ति की पहचान/रैंकिग उपलब्ध कराई गई सीड मनी को समूह / उद्यमी व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि में चुकौती की गई है, सीडमनी द्वारा परियोजना प्रारम्भ की गई हो, बैठक कार्यवाही रजिस्टर व आवश्यक रेकार्ड पूर्ण है, के आधार पर की जा सकती है । जलग्रहण विकास दल के सदस्यों का मूल्यांकन उनके द्वारा जीविकोपार्जन गतिविधि में किये गये कार्य के आधार पर किया जावेगा ।

अतः समस्त परियोजना प्रबंन्धक व्यापक प्रचार प्रसार कर जीविकोपार्जन गतिविधि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समूहों / व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर परियोजना से गरीब परिवारों को लाभान्वित करे जिससे उनकी आजीविका में बढोतरी हो । उक्त कार्य पर होने वाला व्यय प्रशिक्षण मद में से किया जावे ।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार

2.3.15
(एम.एस. काला)
निदेशक

क्रमांकः एफ2( ) /जीविकोपार्जन/2014/2163-2242 दिनांक : 3/3/15
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण, जयपुर (राजस्थान) ।
2. जिला कलेक्टर, समस्त ।
3. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन) निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण, जयपुर
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक समस्त, निदेशालय, जयपुर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी., जिला परिषद (समस्त) ।
6. ए.सी.पी. व उपनिदेशक, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

2/3/15
(वी.एल.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी)

परिशिष्ट –1

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण, पंचायत समिति .... जिला .... (राजस्थान)

कमांक एफ ( )/डब्ल्यू.सी.डी.सी./ दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी., जिला परिषद (ग्राविप्र) .... के आदेश कमांक .... दिनांक के अनुसार एकीकत जलग्रहण प्रबंधन कार्यकम अन्तर्गत ब्लाक में स्वीकृत जल ग्रहण परियोजनाओं में जीविकोपार्जन गतिविधि में स्वयं सहायता समूहों/उद्यमी व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्यो व डब्ल्यू.डी.टी. सदस्य द्वारा किये गये कार्यो का मुल्याकन कर उत्कृष्ट समूहो/व्यक्तियो व सदस्य के चयन हेतु ब्लाक स्तर पर निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है

1.	अधिशाषी अभियन्ता	:	अध्यक्ष
2.	सहायक अभियन्ता (पीआईए) – I	:	सदस्य
3.	सहायक अभियन्ता (पीआईए) – II	:	सदस्य
4.	सी.डी.पी.ओ. पंचायत समिति	:	आमंत्रित सदस्य

सहायक अभियन्ता अपने स्तर पर डब्ल्यू.डी.टी सदस्यों से रेकार्ड प्राप्त कर चर्चा कर तीन–तीन उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूहों व उद्यमी व्यक्तियों का चयन कर मय टिप्पणी/अभिशंसा मय फोटोग्राफ के साथ प्रेषित करेगें ।

अधिशाषी अभियन्ता

कमांक एफ ( )/डब्ल्यू.सी.डी.सी./ दिनांक

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी., जिला परिषद ....
2. सहायक अभियन्ता (पीआईए), I/ II जलग्रहण दिकास एवं भू–सरंक्षण, पंचायत समिति ....

अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण,
पंचायत समिति ....
जिला .... (राजस्थान)

प्रशस्ति पत्र

एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यकम अन्तर्गत पंचायत समिति में स्वीकृत जल ग्रहण परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी. .... अन्तर्गत जल ग्रहण उपसमिति .... में जीविकोपार्जन गतिविधि अन्तर्गत ....स्वयं सहायता समूह / उद्यमी व्यक्ति .... द्वारा वर्ष .... में .... परियोजना पर उत्कृष्ट कार्य किये जाने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

सहायक अभियन्ता (पी.आई.ए.)
पंचायत समिति ....

अधिशाषी अभियन्ता
पंचायत समिति.............

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कॅलक्टर एवं अध्यक्ष वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर
जिला .... (राजस्थान)

कमांक एफ ( )/डब्ल्यू.सी.डी.सी./ दिनांक

कार्यालय आदेश

निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के पंत्राक.................. दिनांक .... के अनुसार एकीकत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अन्तर्गत ब्लाक में स्वीकृत जल ग्रहण परियोजनाओं में जीविकोपार्जन गतिविधि में स्वयं सहायता समूहों/उद्यमी व्यक्तियों द्वारा उत्कृष्ट किये जाने वाले कार्यो के मुल्यांकन हेतु जिला स्तर पर सम्मानित करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है

1.	जिला कलॅक्टर	:	अध्यक्ष
2.	अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबंधक	:	सदस्य सचिव
3.	परियोजना प्रबन्धक (एन.आर.एल.एम.)	:	सदस्य
4.	उपनिदेशक (महिला एवं बाल विकास)	:	आमन्त्रित सदस्य

अधीक्षण अभियन्ता समस्त ब्लाकों /पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को आंकलन कर सूची मय रेकार्ड तैयार कर बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।

जिला कलॅक्टर एवं अध्यक्ष

कमांक एफ ( )/डब्ल्यू.सी.डी.सी./ दिनांक

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण, जयपुर (राजस्थान)
2. अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक, डब्ल्यू.सी.डी.सी., जिला परिषद ....
3. परियोजना प्रबन्धक (एन.आर.एल.एम.), जिला परिषद, ...
4. उपनिदेशक (महिला एवं बाल विकास), जिला ....
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण, पंचायत समिति ....
6. सहायक अभियन्ता (पीआईए), जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण, पंचायत समिति ....

अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन
परियोजना प्रबन्धक
डब्ल्यू.सी.डी.सी., जिला परिषद ...

परिशिष्ट—3

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कॅलक्टर एवं अध्यक्ष वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर
जिला .... (राजस्थान)

प्रशस्ति पत्र

एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति .... में स्वीकृत जल ग्रहण परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी. .... अन्तर्गत जल ग्रहण समिति में जीविकोपार्जन गतिविधि अन्तर्गत ....स्वयं सहायता समूह / उद्यमी व्यक्ति / जल ग्रहण विकास दल सदस्य .... द्वारा वर्ष .... में .... परियोजना पर उत्कृष्ट कार्य किये जाने पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद	जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर जिला ....